संख्या–681 /पचास–यु0क0–2019–43(विविध)/2014

प्रेषक,

फलेन्द्र पाल सिंह राठौर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल
एवं युवा कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग : लखनऊ : दिनांक 15 जून, 2019

विषय– राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यो में युवक एवं महिला मंगल दलों के लिए कार्यो का निर्धारण, विवेकानन्द यूथ एवार्ड देने के लिए विभिन्न स्तरों पर श्रेष्ठ मंगल दलों के चयन हेतु कमेटियों का गठन तथा पुरस्कार की धनराशि का आय–व्ययक एवं उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1444/चार–23/यु0क0/2017, दिनांक 15 फरवरी, 2018, पत्र संख्या–82/चार–23/ यु0क0/2017, दिनांक 02 मई, 2019, पत्र संख्या–114/चार–23/यु0क0/2017,दिनांक 13 मई, 2019 पत्र संख्या–115/चार–02/ यु0क0/2019, दिनांक 14 मई, 2019 , पत्र सख्या–125/चार–23/ यु0क0/2017, दिनांक 15 मई, 2019 एवं पत्र संख्या–126/चार–02/यु0क0/2019, दिनांक 15 मई, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– युवक/महिला मंगल दलों को सुदृढ़ एवं कियाशील बनाये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–4655/पचास–यु0क0–89–91–88, दिनांक 15 नवम्बर, 1989 एवं शासनादेश संख्या–1731/पचास–यु0क0– 2017–43 (विविध)/ 2014, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यो में युवक एवं महिला

–2–

मंगल दलों के लिए कार्यो का निर्धारण, विवेकानन्द यूथ एवार्ड देने के लिए विभिन्न स्तरों पर श्रेष्ठ मंगल दलों के चयन हेतु कमेटियों का गठन तथा पुरस्कार की धनराशि का आय–व्ययक एवं उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान किये जाते है :–

युवक एवं महिला मंगल दलों के कार्यो का निर्धारण

क्र.सं.		कार्यक्रम	मूल्यांकन	अधिकतम अंक	अभ्युक्ति
1		2	3	4	5
1	खेल प्रतियोगिताओं में सहभागिता				
	अ–	राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान प्राप्त करने	10 अंक	10 अंक	प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवश्यक होगी
	ब–	राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पाने पर	09 अंक		
	स–	राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान पाने पर	08 अंक		
	द–	राज्य स्तर पर तृतीय अथवा जनपद स्तर पर प्रथम स्थान पाने पर	07 अंक		
	य–	जनपद स्तर पर द्वितीय स्थान पाने पर	06 अंक		
	र–	जनपद स्तर पर तृतीय स्थान पाने पर	05 अंक		
	ल–	ब्लाक स्तर पर प्रथम स्थान पाने पर	04 अंक		
	व–	ब्लाक स्तर पर द्वितीय स्थान पाने पर	03 अंक		
	श–	ब्लाक स्तर पर तृतीय स्थान पाने पर	02 अंक		
	ह–	ब्लाक स्तर पर प्रतिभाग	01 अंक		
2	खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर				
	ग्राम में कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबाल, फुटबाल, एथलेटिक्स या अन्य कोई खेल प्रतियोगिता के आयोजन पर		05 अंक प्रति खेल प्रतियोगिता।	10 अंक	प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रतिभागियों एवं दर्शकों की संख्या न्यूनतम 50 होनी चाहिए, प्रतियोगिता स्थल पर बैनर लगा हो। साक्ष्य के रूप में

–3–

				फोटोग्राफ अथवा वीडियो आवश्यक होगा।
3	**सामाजिक वृक्षारोपण**			
	प्रति 10 जीवित वृक्ष पर	01 अंक	10 अंक	स्वप्रमाणित फोटोग्राफ आवश्यक होगा
4	**रक्तदान**			
	एक यूनिट रक्तदान पर	05 अंक	10 अंक	प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवश्यक होगी।
5	**स्वच्छता कार्यक्रम**			
	अ— ग्राम में स्वच्छता के प्रचार— प्रसार करने पर या स्वच्छता गोष्ठी आयोजित करने पर	02 अंक	10 अंक	सम्पूर्ण ग्राम में दल के बैनर तले किया जाए। गोष्ठी में कम से कम 50 लोग सम्मिलित हों। कार्यक्रम का फोटो अथवा वीडियो आवश्यक होगा।
	ब— सदस्यों द्वारा ओ.डी.एफ. में प्रेरक बनने पर	02 अंक प्रति व्यक्ति		
	स— ग्राम को ओ.डी.एफ. घोषित कराने में सहयोग करने पर	03 अंक		
	द— ग्राम में श्रमदान के माध्यम से स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करने पर	03 अंक		
6	**नशामुक्ति**			
	अ— दल के समस्त सदस्यों के नशामुक्त होने पर	02 अंक	10 अंक	सम्पूर्ण ग्राम में प्रचार—प्रसार बैनर सहित किया जाए। गोष्ठी में कम से कम 50 लोग सम्मिलित हों। कार्यक्रम का फोटो अथवा वीडियो आवश्यक होगा।
	ब— दल के प्रयास से दल के किसी सदस्य अथवा ग्राम के किसी व्यक्ति को नशामुक्त करने पर	04 अंक		
	स— सम्पूर्ण ग्राम में नशामुक्ति के प्रचार—प्रसार अथवा गोष्ठी आयोजित करने पर	04 अंक		
7	**राष्ट्रीय एकीकरण**			
	अ— साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रचार— प्रसार एवं कार्यक्रम के आयोजन पर	04 अंक	10 अंक	सम्पूर्ण ग्राम में प्रचार—प्रसार बैनर सहित किया जाए। आयोजित कार्यक्रम में कम से कम 50 लोग सम्मिलित हों।
	ब— सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर	04 अंक		

	स–	राष्ट्रीय पर्व के आयोजन पर	02 अंक		कार्यक्रम का फोटो अथवा वीडियो आवश्यक होगा।
8	**अन्य कार्य**				
	अ–	जैविक खेती के प्रचार–प्रसार पर	03 अंक	30 अंक	किसी भी कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार एवं कार्यक्रम आयोजन में बैनर अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में कम से कम 50 लोग सम्मिलित हों। साक्ष्य के रूप में फोटो अथवा वीडियो आवश्यक होगा। प्रचार–प्रसार सम्पूर्ण ग्राम में किया जाए।
	ब–	जनसंख्या नियन्त्रण के प्रचार– प्रसार पर	03 अंक		
	स–	जल संरक्षण के प्रचार–प्रसार पर	03 अंक		
	द–	सौर ऊर्जा सयंत्रों के उपयोग एवं प्रचार–प्रसार पर	03 अंक		
	य–	सम्पूर्ण साक्षरता के प्रचार–प्रसार पर	03 अंक		
	र–	आपदा प्रबन्धन के प्रचार–प्रसार अथवा कार्यशाला के आयोजन पर	03 अंक		
	ल–	राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार अथवा कार्यक्रम में भाग लेने पर	03 अंक		
	व–	राष्ट्रीय मतदाता दिवस में सहभागिता एवं प्रचार–प्रसार	03 अंक		
	श–	भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित किसी अन्य राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यक्रम में सहभागिता करने पर	03 अंक		
	ह–	कोई अन्य उल्लेखनीय सामाजिक या लोक महत्व का अथवा प्राण रक्षा या सम्पत्ति सुरक्षा सम्बन्धी सहासिक कार्य	03 अंक		

दलों के चयन हेतु कमेटियों का निर्धारण

क– विकास खण्ड स्तरीय समिति

1.	खण्ड विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2.	सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	सदस्य
3.	क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त समिति युवक एवं महिला मंगल दलों हेतु निर्धारित उक्त राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यो में उनकी सहभागिता के आधार पर मूल्यांकन करते हुए श्रेष्ठ दल का चयन करेगी और खण्ड स्तरीय विवेकानन्द यूथ एवार्ड का प्रावधान होने पर श्रेष्ठ दलों को पुरस्कार वितरित करके चयन समिति की कार्यवाही की प्रति सहित जनपद स्तरीय विवेकानन्द यूथ एवार्ड देने के लिए श्रेष्ठता क्रम में एक युवक एवं एक महिला मंगल दल का नाम जनपद स्तरीय समिति को प्रेषित करेगी। एवार्ड प्राप्त करने हेतु न्यूनतम् अर्हकारी अंक 40 होंगें। इस एवार्ड के लिए वही दल अर्ह होंगे जिनका सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण होगा एवं जिनका खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खुला होगा।

ख– जनपद स्तरीय समिति

1.	मुख्य विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला विकास अधिकारी	सदस्य
3.	जिला युवा कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

उक्त समिति समस्त विकास खण्डों से श्रेष्ठ युवक एवं महिला मंगल दलों के प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ दलों का चयन कर जनपद स्तरीय विवेकानन्द यूथ एवार्ड पुरस्कार वितरित करेगी और चयन समिति की कार्यवाही की प्रति सहित राज्य स्तरीय विवेकानन्द यूथ एवार्ड देने के लिए श्रेष्ठता क्रम में एक युवक एवं एक महिला मंगल दल का नाम महानिदेशक, युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करेंगें।

–6–

ग— महानिदेशालय स्तर पर गठित स्टेयरिंग कमेटीः—

1. महानिदेशक, युवा कल्याण, — अध्यक्ष

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, युवा कल्याण द्वारा नामित अधिकारी — सदस्य

3. संयुक्त निदेशक, युवा कल्याण अथवा उनकी अनुपस्थिति में महानिदेशक द्वारा नामित कोई उपनिदेशक स्तर का का अधिकारी — सदस्य

4. उपनिदेशक, (युवा कार्यक्रम) — सदस्य सचिव

उक्त समिति जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों को निर्धारित कार्यो के आधार पर मूल्यांकन कर श्रेष्ठताक्रम में 10 युवक मंगल दल एवं 10 महिला मंगल दलों का चयन कर कार्यवाही की प्रति सहित राज्य स्तरीय समिति के विचारार्थ उपलब्ध करायेगी। महानिदेशालय स्तर पर गठित स्टेयरिंग कमेटी को यह अधिकार होगा कि यदि वह उचित समझें तो वह चयनित मंगल दलों के कार्य एवं उपलब्धियों का भौतिक सत्यापन कर सकेगी।

घ— राज्य स्तरीय समिति

1. मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उ0प्र0 — अध्यक्ष

2. उपाध्यक्ष, राज्य युवा कल्याण परिषद, उ0प्र0 — सदस्य

3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर से अनिम्न कोई अधिकारी — सदस्य

4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन अथवा उनके द्वारा नामित संयुक्त सचिव स्तर से अनिम्न कोई अधिकारी — सदस्य

5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव युवा कल्याण विभाग — सदस्य

—7—

6.	महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव/उपसचिव, अनुसचिव, युवा कल्याण	सदस्य सचिव

पुरस्कार वितरण

उक्त समिति महानिदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों का सम्यक परिशीलन करते हुए राज्य स्तरीय विवेकानन्द यूथ एवार्ड देने के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान हेतु युवक एवं महिला मंगल दलों का अन्तिम रूप से चयन करेगी। चयनित श्रेष्ठ दलों को पुरस्कार का वितरण मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार/मा0 युवा कल्याण मंत्री जी के कर–कमलों द्वारा किया जाएगा।

धनराशि का संचालन

यूथ एवार्ड से प्राप्त होने वाली धनराशि सम्बन्धित युवक मंगल दल तथा महिला मंगल दल के मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के नाम से बैक में खाता खोलकर जमा की जाएगी और इन्हीं पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से खाते का संचालन किया जाएगा।

धनराशि का उपयोग

पुरस्कार की धनराशि का उपयोग दल के अध्यक्ष के प्रस्ताव पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी के अनुमोदन से सम्बन्धित मंगल दल के सुदृढ़ीकरण यथा–पुस्तकालय–वाचनालय की स्थापना, खेल सामग्री, फर्नीचर, सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु वाद्य यन्त्र, मंगल दल के लिए उपयोगी किसी अन्य कार्य तथा मंगल दलों द्वारा स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर किया जाएगा।

पर्यवेक्षण

सम्बन्धित विकास खण्ड के क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी सम्प्रेक्षक के रूप में पुरस्कार की धनराशि से क्रय सामग्री का सत्यापन कर जिला युवा कल्याण अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

—8—

<u>मंगल दलों का पंजीकरण</u>

(अ) जिन युवक/महिला मंगल दलों के द्वारा गैर सरकारी संगठन के रूप में शासकीय योजनाओं के संचालन में भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी, उनका पंजीकरण पूर्ववत् सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट–1860 के तहत रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटीज के कार्यालय में कराया जाना अनिवार्य होगा।

(ब) उक्त के अतिरिक्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के कार्यालय स्तर पर मंगल दलों के पंजीकरण की कार्यवाही सम्पादित किये जाने एवं पंजीकरण अभिलेख तैयार करने के संदर्भ में प्रावधान निम्नवत है :–

(I) प्रोत्साहन सामग्री प्राप्त करने हेतु पात्र युवक एवं महिला मंगल दलों का जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी कार्यालयों में पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जनपद के समस्त ग्राम स्तर पर युवक एवं महिला मंगल दलों का गठन/पंजीकरण निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराया जायेगा।

(II) जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी कार्यालय में मंगल दलों के पंजीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटीज, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत पंजीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप की भांति प्रचलित रहेगा।

(III) युवक/महिला मंगल दल के गठन/पंजीकरण की संस्तुति का अधिकार क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी में निहित होगा।

(IV) जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी मंगल दलों के पदेन संरक्षक होंगें और उनके कार्यालय में मंगल दलों के पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारूप में पंजिका तैयार की जायेगी एवं समस्त अभिलेख यथा–आवेदन पत्र इत्यादि कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगें।

(V) कार्यालय द्वारा पंजीकरण हेतु मंगल दलों को जारी किया जाने वाला पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्धारित **प्रारूप** के अनुसार रहेगा।

(स) प्रदेश के प्रत्येक जनपद में विकास खण्डवार पंजीकृत किये जाने वाले युवक एवं महिला मंगल दलों की पंजीकरण संख्या में एकरूपता एवं पहचान रखने के

—9—

दृष्टिगत प्रत्येक जनपद के लिए मण्डल कोड, जनपद कोड एवं विकास खण्ड कोड का आवंटन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। प्रत्येक विकास खण्ड में पंजीकृत किये जाने वाले युवक मंगल दल का पंजीकरण आवंटित विकास खण्ड के कोड के आगे "Y" से एवं महिला मंगल दल का पंजीकरण "M" से बढ़ते क्रम में अंकित करने की कार्यवाही सम्बन्धित जनपद के जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी

3— शासनादेश संख्या—1731/पचास—यु0क0—2017—43(विविध)/2014, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 के प्रस्तर—2 बिन्दु संख्या—1 (दलों का गठन) में संशोधन के फलस्वरूप अब मंगल दलों का गठन/पंजीकरण पूर्व की भांति राजस्व ग्राम के स्थान पर ग्राम पंचायत स्तर पर कराया जा सकता है।

4— इस सम्बन्ध में शेष प्रावधान समय—समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों व निर्देशों के क्रम में पूर्व की भांति यथावत रहेगें।

भवदीय,

(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)
अनु सचिव,

संख्या— (1)/पचास—यु0क0—2019—43(विविध)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2— समस्त उपनिदेशक,युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल/प्रादेशिक विकास दल विभाग, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4— गार्ड बुक हेतु

आज्ञा से,

(फलेन्द्र पाल सिंह राठौर)
अनु सचिव,